नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा
लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001
Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

क्रमांक ...121..... / छात्र शाखा / नं.कु.सि.चौ.शा.चि.महा / 2023 खण्डवा, दिनांक :– 07/01/2023

/ / विज्ञप्ति / /

नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा में, संचालक चिकित्सक शिक्षा का पत्र क्रमांक 1200–02 / स्था / राज / 2021 भोपाल दिनांक 24 / 12 / 2021 एवं एनएमसी द्वारा दिनांक 14 / 02 / 2022 एवं कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा का पत्र क्रमांक 485 / स्था / राज / 2022 भोपाल दिनांक 17 / 05 / 2022 के अनुसार जारी नियमावली के अनुसार निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पर 100 एम.बी.बी.एस. प्रवेश हेतु एन.एम.सी. के मापदण्ड अनुसार ट्यूटर /सीनियर रेसिडेन्ट के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीमित पदावधि (**Tenure**) से पदों की पूर्ति हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में आमंत्रीत किये जाते हैं :–

सीनियर रेसीडेन्ट / ट्यूटर

S.No	SUBJECT	VACANT POST	UNRESERVED (UR)	SCHEDULE CASTE (SC)	SCHEDULE TRIBE (ST)	OTHER BACKWARD CASTE (OBC)
1	Physiology	02	00	01	01	00
TOTAL		02	00	01	01	00

नोटः– आवेदन हेतु शैक्षणिक योग्यता आदि की जानकारी एवंम विस्तृत विवरण संस्था की वेबसाइट www.gmckhandwa.org से प्राप्त की जा सकती है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु दिनांक 16 / 01 / 2023 को शाम 04:30 बजें तक आवेदन जमा करवाये (ई–मेल द्वारा एवं व्यक्तिगत रूप से)। इंटरव्यू की तिथि अंतिम दिनांक तक प्राप्त आवेदनों के पश्चात् सूचना पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी। साक्षात्कार हेतु आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियॉ के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस हेतु पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी। मेल पर प्राप्त आवेदन पत्र एवं व्यक्तिगत रूप से प्रेषित आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेगें एवं अवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां ई–मेल पर प्रेषित ना करें (केवल व्यक्तिगत रूप से प्रेषित अवेदन पत्र के साथ ही संलग्न करें)। साथ ही इंटरव्यू के समय आवेदन पत्र में दर्शाऐ गये दस्तावेजों की मूल प्रति एवं 01–01 सेट छायाप्रति के साथ लाना अनिवार्य होगा। यदि आवेदन पत्र में दर्शित दस्तावेज गलत पाये जाते हैं तो सीनियर रेसीडेन्ट /ट्यूटर की पात्रता तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

सीनियर रेसीडेन्टस / ट्यूटर की बॉण्ड सेवा अवधि शासन के जारी निर्देशानुसार रहेगी।

(डॉ. अनंत टी. पवार),
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नं.कु.सि.चौ.शा.चि.महा खण्डवा (म.प्र.)

Vigyapti Prepared by Javid Ansari

साक्षात्कार हेतु नियम एवं शर्तें

नोटः–

1. आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार।
2. आवश्यकतानुसार पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती हैं।
3. उक्त रिक्त पदों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत पद आरक्षित है।
4. सीनियर रेसीडेन्ट/ट्यूटर हेतु अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं मिलते है तो उस स्थिति में सीटें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित श्रेणी के क्रम से उपलब्ध कर चिकित्सकों से भरी जावेगी। उक्त परिस्थिती में रिक्तियों की कैटेगिरी में परिवर्तन किया जा सकता है।
5. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यर्थी साक्षात्कार का पात्र नहीं हो जाता।
6. उक्त सीटों में परिवर्तन किया जा सकता है।

शर्तेंः– यह नियुक्ति निम्न शर्तो के अधीन होगी :–

1. अवधिः– सीनियर रेसीडेन्ट्स/ट्यूटर की सेवा–अवधि (Tenure) 01 वर्ष हेतु नियुक्ति की जावेगी। तत्पश्चात् सेवायें संतोषजनक पाये जाने पर 01–01 वर्ष हेतु समय बढ़ाते हुए अधिकतम 03 वर्ष तक बढ़ाई जावेगी।
2. नियुक्ति का तरीकाः– योग्य अभ्यर्थियो का चयन एम.बी.बी.एस/एम.डी./एम.एस./एम.एस सी. (मेडिकल) सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के अंकों एवं साक्षात्कार उपरांत किया जावेगा। नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी।
3. शैक्षणिक योग्यताः– सीनियर रेसीडेन्ट/ट्यूटर के लिये संबंधित विषय में एम.सी.आई/डी.सी.आई द्वारा मान्यता प्राप्त एम.डी./एम.एस./डीएनबी./एम.एस सी (मेडिकल) परीक्षा उत्तीर्ण किया हैं वे ही इस पद के लिये पात्र होंगे। सीनियर रेसीडेन्ट/ट्यूटर पद पर नियुक्त किसी भी चिकित्सक को निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं होगी। जिन चिकित्सकों ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से एम. डी./एम.एस/डी.एन.बी../एम.एस.सी (मेडिकल) परीक्षा उत्तीर्ण किया हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद मध्यप्रदेश के किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जाएगी। संस्था द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा में समाप्त उम्मीदवार को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।
4. यात्रा भत्ताः– साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यार्थी को यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।

अन्य शर्तेंः–

1. इन चिकित्सकों का प्रत्येक 01 वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह में एकदिन अवकाश की पात्रता होगी यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा, पर इन रेसीडेन्स से संबंधित सभी बातों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।
2. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी म.प्र. द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं।
3. म.प्र. के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।
4. उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी।

Vigyapti Prepared by Javid Ansari

5. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी।
6. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही जिस संस्था में कार्यरत है उस संस्था का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. उम्मीदवार को म.प्र. राज्य मेडिकल कौंसिल अथवा मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
8. सीनियर रेसीडेन्ट /ट्यूटर के पद पर चयनित उम्मीदवार को आवश्यकतानुसार अन्य स्थान पर कार्य करने हेतु आदेशित किया जा सकता है।
9. साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले चिकित्सकों को स्क्रूटनी समिति के समक्ष यह शपथ पत्र देना होगा कि उनका नाम पी.एम.टी./पी.जी. फर्जीवाड़े की सूची में नहीं है उवं उनके विरूद्ध कोई भी प्रकरण पुलिस में दर्ज नहीं है।
10. सीनियर रेसीडेन्ट /ट्यूटर हेतू अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष रहेगी।
11. साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियॉ प्रस्तुत करनी होगी।
12. 08 दिवस से ज्यादा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते है तो आपको सेवा से कार्य मुक्त किया जायेगा।

(डॉ. अनंत टी. पवार),
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नं.कु.सि.चौ.शा.चि.महा खण्डवा (म.प्र.)

क्रमांक ..../छात्र शाखा/नं.कु.सि.चौ.शा.चि.महा/2022 खण्डवा, दिनांक :–
प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संभागायुक्त एव अध्यक्ष स्वशासी संस्था इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अधिष्ठाता, मेडिकल कॉलेज, इन्दौर/भोपाल/जबलपुर/ग्वालियर एवं रीवा की ओर भेजकर निवेदन है कि अपने कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर उक्त नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने का कष्ट करें।
5. समस्त विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ तथा अपने विभागीय नोटिस बोर्ड पर तत्काल चस्पा करने हेतु।
6. समस्त नोटिस बोर्डः चिकित्सा महाविद्यालय/म.य.चिकित्सालय/चा.ने.बा.चि./मानसिक चिकित्सालय/केंसर चिकित्सालय/मेडिकल छात्रावास/लायब्रेरी/चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा से संबद्ध जिला चिकित्सालय।

(डॉ. अनंत टी. पवार),
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नं.कु.सि.चौ.शा.चि.महा खण्डवा (म.प्र.)

Vigyapti Prepared by Javid Ansari